

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उ०प्र० लो०नि०वि०, लखनऊ
(भवन वर्ग)

पत्रांक:

/ 69बी०पी०वि० / 2010-12-13

दिनांक: / / 2013

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल दरों (प्लिन्थ एरिया रेट्स) का निर्धारण इस कार्यालय के पत्र सं०-5398जी/69बी०पी०वि०/2010-11 दि० 31.10.11 द्वारा किया गया था, जो दि० 01.11.11 से प्रभावी था। विगत समय में श्रमिक एवं सामग्री आदि की दरों में वृद्धि होने एवम् विशिष्टियों में परिवर्तन होने के कारण कुर्सी क्षेत्रफल दरों में वृद्धि करने की माँग की जा रही है। इस पर विचार करने हेतु इस कार्यालय में दि० 19.06.13, दि० 27.06.13, दि० 11.07.13 एवम् दि० 29.07.13 को विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की बैठक बुलाई गयी थी। बैठक में निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि उ०प्र० समाज कल्याण निगम के प्रतिनिधि, उ०प्र० जल निगम के प्रतिनिधि एवं अधीक्षण अभियन्ता, दशम वृत्त, भवन वृत्त, 17वाँ वृत्त के अतिरिक्त अनुरक्षण खण्डों के अधिशासी अभियन्तागण उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा सामग्री एवं श्रमिक दरों पर वर्तमान में मूल्यांकन करते हुए प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर कुर्सी क्षेत्रफल की दरें (संलग्न पौंच पृष्ठों में) दिये गये विवरण के अनुसार एतद्वार निर्धारित की जाती है, जो दि० 01.08.13 से प्रभावी मानी जायेगी।

यह दरें केवल प्रारम्भिक आगणन बनाने हेतु प्रयोग की जायेगी।

संलग्नक:- प्लिन्थ एरिया दरों
का विवरण-5 पृष्ठों में।

(आर०सी० बरनवाल)
मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ
दिनांक:

पत्रांक:

1647 / 69बी०पी०वि० / 2010-12-13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-





1. सचिव, लो०नि०वि०, अनु०-6 एवं 8, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (प्रामीण सड़क) / (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (बजट ख वर्ग) लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. निदेशक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्ध प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड गौमतीनगर, लखनऊ।
8. निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन लखनऊ।
9. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता _____ क्षेत्र लो०नि०वि० _____ । आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं को अपने स्तर से इसकी प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. अधीक्षण अभियन्ता दशम वृत्त/भवन वृत्त/39वाँ वृत्त, लो०नि०वि० लखनऊ।
11. निदेशक रिसर्च एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ

दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

पृष्ठ-1

क्रमांक 0	विवरण	अन्तर्देशीय			अन्तर्देशीय			
		सम्बन्धित अन्तर्देशीय भवन-सिमेंट/हाइड्रॉ/निर्मित भवन/विद्युत आपूर्ति/वेस्टिंग कारसेज	सम्बन्धित अन्तर्देशीय भवन-सिमेंट/हाइड्रॉ/निर्मित भवन/विद्युत आपूर्ति/वेस्टिंग कारसेज	सामान्य अन्तर्देशीय भवन-हाइड्रॉ/विद्युत आपूर्ति/वेस्टिंग कारसेज	किन्हीं क्षेत्रों के अन्तर्देशीय भवन-1	सामान्य अन्तर्देशीय भवन-2 एवं क्षेत्रों-3	अधिकतर क्षेत्रों-4	सम्बन्धित अन्तर्देशीय भवन-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुर्सी क्षेत्रफल प्रति मीटर में				34.2	57.70& 79.00	178.5	221.4
1.1	सिमेंट अगुला							
	पारसी सिमेंट हेतु	12800	9500	7300	10600	10600	11300	11100
1.2	पुरानी सिमेंट हेतु	11950	9050	888	10100	10100	10700	1100
1.3	पौरानी सिमेंट हेतु	12800	9500	7300	10600	10600	11300	11100
1.4	सिमेंट सिमेंट हेतु	13200	10000	788	11100	11100	11900	12200
	अतिरिक्त अधिकतम के लिए				(कोई भी दर क्षेत्रों के अन्तर्देशीय भवन क्षेत्रों के अन्तर्देशीय भवन क्षेत्रों के लिए क्षेत्रों-1 के लिए प्रयुक्त नहीं है अन्तर्देशीय क्षेत्रों के लिए)			
2.1	सामान्य क्षेत्रों 2.50मी से कम अन्तर्देशीय क्षेत्रों के लिए	290	290	290	290	290	290	260
2.2	सामान्य क्षेत्रों 2.50मी से अधिक अन्तर्देशीय क्षेत्रों के लिए (सिमेंट पारसी सिमेंट के लिए)	290	290	290	290	290	290	240
2.3	सामान्य क्षेत्रों 2.50 मी से अधिक अन्तर्देशीय क्षेत्रों के लिए (सिमेंट पारसी सिमेंट के लिए)	370	370	370	370	370	370	370

दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें
(रुपये प्रति वर्गमीटर में)

पृष्ठ-2

क्रमांक	विवरण	अन्वयाधीन			अन्वयाधीन			
		प्रथम अन्वयाधीन भवन-सॉलिट हाउस/विशेष भवन/विद्यालय/अस्पताल/सैनिकल कारोबार	द्वितीय अन्वयाधीन भवन-सहायक/कॉलेज/हाई स्कूल/सोसायटी/कार्यालय/साथ सर्वरक, गोदाय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/सहायक भवन/कॉन्ट्रैक्ट	साधारण अन्वयाधीन भवन-प्राइवटी स्कूल/कुल्लुवा/सुवर्ण/सर्विस्/कल्याण केंद्र तथा अन्य छोटे भवन/रैरक	विशेष श्रेणी-1	साधारण श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3	अधिकारिणी श्रेणी-4	प्रथम अधिकारिणी श्रेणी-5
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.4	एक से ज़्यादा कम अधिकतम सीमा क्षेत्र भूखण्ड की ज़मीन से लिए अधिकतम अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र एवं विस्तार क्षेत्र है।	700	700	700	700	700	700	
3	की							
3.1	एक से ज़्यादा कम अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र एवं विस्तार क्षेत्र की ज़मीन से लिए	400	400	400	400	400	400	
3.2	एक से ज़्यादा कम अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र एवं विस्तार क्षेत्र की ज़मीन से लिए	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
3.3	अधिकतम अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र एवं विस्तार क्षेत्र की ज़मीन से लिए।	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
3.4	अधिकतम अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र एवं विस्तार क्षेत्र की ज़मीन से लिए	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
3.5	जमीन क्षेत्रफल से लिए अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र की ज़मीन से लिए	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
3.6	जमीन क्षेत्रफल से लिए अधिकतम क्षेत्रफल क्षेत्र की ज़मीन से लिए	15%	15%	15%	15%	15%	15%	


अधीन अधिकारी
मुख्य पुरा
संविधान, अन्वय


अधीन अधिकारी (पुरा)
मुख्य पुरा
संविधान, अन्वय


अधीन अधिकारी
मुख्य पुरा
संविधान, अन्वय


अधीन अधिकारी (पुरा)
मुख्य पुरा
संविधान, अन्वय

दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरें
(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

पृष्ठ-3

क्र.सं. 0	विवरण	अपराधीय			आपराधीय			
		उच्च अपराधीय भवन- सर्जिट हाउस/विशेष भवन/जिला अस्पताल/वैदिकाल कालेज	उच्च अपराधीय भवन- महाविद्यालय इन्टर कालेज/हाई स्कूल/ कोषभार/ कार्यालय/ खास अदालत, पोस्टा/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उद्योगीय भवन/कॉन्ट्रैक्ट	साधारण अपराधीय भवन-प्राइवती स्कूल/पुस्तकालय/ परिवार कल्याण केन्द्र तथा अन्य छोटे भवन/दरवा	दिना केमी कर्मचारी हेतु आवास केमी-1	साधारण आवास केमी-2 एवं केमी-3	अधिकारीय हेतु आवास केमी-4	उच्च अधिकारीय हेतु आवास केमी-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	सूचना देवी कोषभारों के लिए अधिकृत							
4.1	केमी-III एवं केमी III हेतु		उपरोक्त अधिकृत कुर्सी क्षेत्रफल क्रमिक-1 को संलग्न तरीके से अधिकृत है।					
4.2	केमी-TV हेतु	350	350	350	350	350	350	350
4.3	केमी-V हेतु	400	400	400	400	400	400	400
5	एक विभाग की कार्यवाही के प्रथम चरण विभाग की कार्यवाही का काम करने के लिए कुल क्षेत्रफल के लिए।	750	750	750	750	750	750	750
6	एक कार्यवाही के अधिकार क्षेत्र के लिए	850	850	850	850	850	850	850
7	विभाग अधिकार के लिए (विभाग कार्यालय क्षेत्र)	220	220	220	220	220	220	220
8	अधिकृत के लिए अधिकृत	-	-	-	-	-	-	-
8.1	अधिकृत का कार्य विभाग	500	500	500	-	-	-	-
8.2	दो चरण विभाग के एक अधिकृत का कार्य	500	500	500	500	500	500	500
8.3	विभाग विभाग के एक अधिकृत का कार्य	750	750	750	750	750	750	750
9	अधिकृत विभाग के लिए अधिकृत	1700	-	-	-	-	-	-

28/8/13
अधिकृत अधिकृत (संलग्न)
राम कृष्ण
सहायक, आवास

28/8/13
अधिकृत अधिकृत (संलग्न)
राम कृष्ण
सहायक, आवास

28/8/13
अधिकृत अधिकृत (संलग्न)
राम कृष्ण
सहायक, आवास

28/8/13
अधिकृत अधिकृत (संलग्न)
राम कृष्ण
सहायक, आवास

दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरे
(रुपये प्रति वर्गमीटर में)

पृष्ठ-4

क्र.सं.	विवरण	अनायासीय			आयासीय			
		उच्च अनायासीय परत-सर्जेंट हायर / विद्यालय भवन / जिला अस्पताल / सैनिकल कारोबार	सामान्य अनायासीय परत- महाविद्यालय इन्टर कालेज / सर्व स्कूल / कोचिंग / कार्यालय / छात्र छात्रिका, गौरीगंज / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / लक्ष्मीय परत / जस्टिस भवन	साधारण अनायासीय परत- प्राइवटी स्कूल / जूजमनस्कूल / परिवार कल्याण केंद्र तथा अन्य छोटे परत / बैराक	गिन सेमी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी-1	साधारण आवास सेमी-2 एवं सेमी-3	अधिकारिणी हेतु आवास सेमी-4	उच्च अधिकारिणी हेतु आवास श्रेणी-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	अधिकृत कर्मचारी							
10.1	आयुक्तिक एवं अन्यी एवं परा विद्यालय एवं	4%	5%	5%	12%	12%	12%	12%
			(अनायास हेतु 10 अधिकृत एवं आयासीय हेतु 10 अधिकृत)					
10.2	सामान्य आवास एवं	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
10.3	आयुक्तिक विद्युतकारण	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
			(अन्य एवं 10 अधिकृत एवं अधिकृत एवं 10)					
11	अधिकृत अधिकृत							
11.1	सामान्य आवास एवं परत	4%	4%	-	-	-	-	-
11.2	विद्युत अधिकृत विद्यालय	1%	-	-	-	-	-	-
11.3	आयुक्तिक आवास एवं अधिकृत एवं अधिकृत	0.50%	0.50%	0.50%	-	-	-	-
12	अधिकृत अधिकृत (अनायासीय) हेतु आवास	500	540	540	-	-	-	-

टिप्पणी- 1. आयुक्तिक एवं परत एवं विद्युत आवास को 1 अधिकृत अधिकृत एवं अधिकृत आवासवास्तुगत है।

2. आयुक्तिक एवं परत एवं अधिकृत आयुक्तिक आवासवास्तुगत है।


3. अधिकृतिक एवं अधिकृत हेतु परत अधिकृत एवं अधिकृत हेतु परत 10 अधिकृत अधिकृत एवं अधिकृत है।


4. अधिकृत एवं अधिकृत अधिकृत परत एवं अधिकृत एवं अधिकृत है।

5. गिन परत एवं परत अधिकृत एवं अधिकृत एवं अधिकृत हेतु परत एवं अधिकृत विद्यालय को एक परत आवास को अधिकृत आयुक्तिक परत एवं अधिकृत है।

6. आयुक्तिक परत एवं आयुक्तिक विद्युतकारण को परत एवं परत अधिकृत एवं परत एवं परत एवं अधिकृत है।

7. आयुक्तिक एवं परत अधिकृत विद्यालय को आयुक्तिक एवं परत है।


अनायासीय (परत)
आयुक्तिक, आवास


अनायासीय (परत)
आयुक्तिक, आवास


अनायासीय (परत)
आयुक्तिक, आवास


अनायासीय (परत)
आयुक्तिक, आवास

